

क्रमांक-राजस्व/अग्नि/2015 229

दिनांक-10/4/15

आशियाना द्वारका,  
ग्राम पाल, ढिनानों की ढाणी,  
पटवार हल्का  
जिला जोधपुर।

विषय:- आशियाना द्वारका,ग्राम पाल, ढिनानों की ढाणी,पटवार हल्का जिला जोधपुर  
को अग्निशमन अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आशियाना द्वारका, खसरा संख्या 561/6, 562, 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 562/5 ग्राम पाल, ढिनानों की ढाणी, पटवार हल्का जिला जोधपुर इमारत का मौका निरीक्षण किया गया। वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर जी+12 की 9 इमारत निर्माणधीन है तथा भीतरी साजसज्जा का कार्य प्रगति पर है। इमारत प्रबंधन को इमारत चालू करने से पूर्व राष्ट्रीय इमारत मानक 2005 के भाग चतुर्थ के इमारत वर्गीकरण के वर्ग ए 5 (2) अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कर उसका समूचित रख रखाव करना होगा। साथ ही निम्नानुसार सुरक्षा प्रबंध करनी होगी।

1. इमारत में अग्निशमन हेतु हर समय पानी भण्डारण की समूचित व्यवस्था रखनी होगी।
2. इमारत व परिसर में लगने वाले समस्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों का समूचित रख रखाव कर पूनः हर समय चालू हालत में रखना होगा। उपयुक्त फायर एक्स्टिंग्यूशर व पानी का भण्डारण व पम्पिंग सुविधा पायी गयी।
3. इमारत की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी तथा इमारत परिसर में अनुपयोगी व अनावश्यक ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जावेगा।
4. इमारत में अग्निशमन हेतु निर्देशानुसार फायर एक्स्टिंग्यूशर, हाजरील/हाईड्रेट, वेटराईजर, यार्डहाईड्रेन्ट, ऑटो स्पीक्लर, मेन्युअल ऑपरेटेड फायर अलार्म मय हुटर, ऑटो डिटेक्शन मय हुटर एवं डिस्पले यूनिट भूमिगत वाटर टैंक 1,50,000 लीटर का तथा ओवर हैड टैंक 20,000 लीटर क्षमता का, तथा राष्ट्रीय इमारत मानक अनुसार पम्पिंग यूनिट की व्यवस्था करनी होगी।
5. इमारत प्रबंधन द्वारा इमारत में की जाने वाली समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध की जाने वाली अग्निशमन उपकरणों व साधनों का प्रशिक्षण इमारत में कार्य करने वाले कार्मिकों को समय-समय पर दिये जाने की व्यवस्था करनी होगी।
6. इमारत प्रबंधन द्वारा इमारत के समस्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों के रख रखाव हेतु निरीक्षण/परीक्षण तथा रख रखाव तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी रिकॉर्ड संधारित करना होगा।
7. इमारत में उपयोग होने वाले एल.पी.जी. बैंक पर एल.पी.जी. लीकेज सेंसर उपलब्ध किया जायेगा।
8. विभागीय अनुमति के बिना इमारत परिसर में किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं किया जाएगा।
9. अग्निशमन व्यवस्था हर समय चालू रखने एवं उसमें रखरखाव हेतु एक प्रशिक्षित अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार स्टाफ रखा जावे।

उपरोक्त अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर आशियाना द्वारका,ग्राम पाल, ढिनानों की ढाणी, पटवार हल्का जिला जोधपुर को प्रबंधक द्वारा दिये गये शपथ पत्र की पालना सुनिश्चित करने पर अंशकालीन (Provisional) अग्निशमन अनापति प्रमाण-पत्र कार्य पूर्ण होने तक जारी किया जाता है।

आशियाना  
जोधपुर नगर निगम।  
अग्निशमन विभाग, जोधपुर

30

जोननि

## कार्यालय जोधपुर नगर निगम (अग्नि), जोधपुर

दिनांक :- 05/09/16

क्रमांक :- अग्नि/13/JFS/2016-17/652

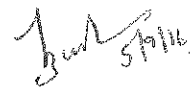
### संघोधित आदेश

आशियाना द्वारका,  
ग्राम पाल, ढिनानों की ढाणी,  
पटवार हल्का  
जिला जोधपुर।

विषय : आशियाना द्वारका, ग्राम पाल, ढिनानों की ढाणी, पटवाल हल्का जिला  
जोधपुर को अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।  
संदर्भ : आपक पत्र क्रमांक 30.7.2014 के क्रम में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि निगम आदेश क्रमांक राजस्व/अग्नि/  
2015/229 दिनांक 10.4.2015 में जारी की गई अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र हेतु जी+12 के स्थान पर  
एस (STILT) +12 पढ़ा जाए। एस (STILT) +12 कि नौ इमारत व EWS & LIG कि 1 इमारत है। एवं  
एनबीसी नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जोधपुर।